देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

अ0शा0परिपत्र सं0 41/2022

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
पुलिस भवन, सिग्नेचर बिल्डिंग,
गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 29, 2022

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सहमत होंगे कि पुलिस कार्मिकों द्वारा उच्च स्तर का अनुशासन बनाये रखते हुये सत्यनिष्ठा से दायित्वों का निर्वहन करने से उत्तर प्रदेश पुलिस बल की छवि में गुणोत्तर सुधार किया जा सकता है। पूर्व में जनपदीय पुलिस अधीक्षकों/सेनानायकों के पर्यवेक्षण, टर्न-आउट व कार्य प्रणाली तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणो के संबंध में यथासमय निर्गत निर्देशों के अतिरिक्त क्रमशः परिपत्र सं0 23/1991, 26/1994 व 47/2000 भी निर्गत किये गये हैं। हाल ही में संज्ञान में आये कुछ मामलों से ऐसा प्रतीत हुआ कि इन निर्देशों के अनुक्रम में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो रही है। इस कारण इन बिन्दुओं पर निम्न प्रकार कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है :-

जनपद के पुलिस अधीक्षकों/सेनानायकों, अन्य सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के प्रति उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनाये रखी जाय। अनुशासनहीनता के प्रकरणो में कठोर कार्यवाही की जाय। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य समुचित समन्वय के अभाव के कारण भी अनुशासनहीनता की घटनायें होती हैं। इसके लिये आवश्यक है कि वरिष्ठ अधिकारी गम्भीर चिन्तन करें। अपने कार्मिकों के सुख-दुख में शामिल हों। उनके कल्याण के लिये हमेशा जागरूक व संवेदनशील रहें। अपने कार्य व आचरण से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि इस प्रकार की घटनायें न हों।

2. उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को हाने वाली परेड में अधिकारी प्रत्येक दशा में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। जनपदों/वाहिनियों की पुलिस लाइन में परेड, भ्रमण एवं निरीक्षण के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है :-

(1) <u>परेडः-</u>

अवकाश, भ्रमण, ड्यूटी व अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रभारी पुलिस अधीक्षकों/सेनानायकों व अन्य सभी अधिकारियों द्वारा शुक्रवार तथा अपर पुलिस अधीक्षक/उप सेनानायकों द्वारा मंगलवार की परेड में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा। पुलिस लाइन्स में आयोजित होने वाली परेडों में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। विभिन्न कार्यालयों व पेशियों में नियुक्त कर्मियों को भी शुक्रवार की परेड में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय। पुलिस बल में शारीरिक दक्षता बनाये रखने के लिये ए0ई0आर0/सी0ई0आर0 में कार्मिकों को समय पर बुलाकर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाय।

---2

(2) **निरीक्षणः-**

परेड के उपरान्त शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक/सेनानायक द्वारा पुलिस लाइन/वाहिनी प्रांगण में घूम कर साफ-सफाई, परेड ग्राउण्ड, क्वार्टर गार्द, आरमरी, मैगजीन, बैरेक, स्टोर, मैस, कैन्टीन, अस्पताल, कल्याण केन्द्र, परिवहन शाखा, सड़क, बिजली, पानी, स्नान गृह, शौचालय, स्कूल, मनोरंजन गृह, अग्निशमन केन्द्र, नियंत्रण कक्ष, आवासीय व्यवस्था, आदि सभी शाखाओं का बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाय। इस दौरान दृष्टिगोचर होने वाली समस्याओं का निराकरण भी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। इस प्रकार के निरीक्षण आकस्मिक रूप से भी किये जायें। इसका एक स्थायी रजिस्टर बनाया जाय, जिसमें शाखावार निरीक्षण का पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। मंगलवार को इसी प्रकार निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक/उप सेनानायक द्वारा किया जायेगा।

(क) **आरमरी/मैगजीन**

प्रायः कारतूसों की चोरी होने, कानून-व्यवस्था ड्यूटियों में फायरिंग के दौरान फायर न होने, शस्त्र के सही प्रकार से कार्य न करने की घटनायें संज्ञान में आती हैं। अतः विशेष ध्यान देकर शस्त्रों की नियमित सफाई व मरम्मत कार्य सुनिश्चित कराया जाय। शस्त्र, कारतूसों आदि का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन परम आवश्यक है, अतः क्षेत्राधिकारी लाइन्स/सहायक सेनानायकों द्वारा अनिवार्य रूप से माह में एक बार तथा पुलिस अधीक्षक/सेनानायकों द्वारा तीन माह में एक बार भौतिक सत्यापन किया जाय। हेड आर्मोरर/आरर्मोरर के पूर्व इतिहास की जानकारी अवश्य रखी जाय और किसी भी दशा में संदिग्ध आचरण वाले हेड आर्मोरर/आरर्मोरर की नियुक्ति न की जाय। निरीक्षण के दौरान यदि कोई शस्त्र खराब अथवा निष्प्रयोज्य दशा में पाया जाय तो दोषी कर्मी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(ख) **बैरिकों का रख-रखाव**

बैरिकों में अपने परिवार से अलग रहकर भारी संख्या में पुलिसजन रहते हैं। कठिन ड्यूटी के उपरान्त उनके आराम के इस स्थान का निरीक्षण अत्यन्त सूक्ष्मता से किया जाय। अतः बैरिकों में रहने वाले कर्मियों के लिये शौचालय, बिजली, पानी, खान-पान सहित सभी आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध होनी चाहिये। इसमें पायी जाने वाली कमियों का निराकरण उसी समय कराया जाय। बैरिकों की साफ-सफाई की व्यवस्था उच्च स्तर की होनी चाहिये।

(ग) **लाइन्स का भ्रमण**

परेड के बाद लाइन्स का भ्रमण किया जाय। इस दौरान पुलिस लाइन्स का ड्यूटी रजिस्टर भी ध्यानपूर्वक चेक करते हुये देखा जाय कि ड्यूटियों में पारिदर्शिता अपनायी गयी है या नहीं। पक्षपातपूर्ण डयूटियां लगायें जाने से पुलिस कर्मियों में रोष व कुठां व्याप्त हो जाती है। इसका प्रभाव राजकीय कार्य पर पड़ता है।

भोजनालयों का निरीक्षण भी बहुत सूक्ष्मता से किया जाय। बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, भोजन की गुण्वत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिये।

---3

(3) **आदेश कक्षः-**

प्रायः यह देखा गया है कि अनुशानहीनता के गम्भीर प्रकरणो के निस्तारण में विलम्ब होने के कारण अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। कुछ निर्दोष कर्मियों के प्रकरण लम्बित रहने पर उनमें कुंठा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रभाव राजकीय कार्यों पर पड़ता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रभारी पुलिस अधीक्षक/सेनानायक नियमित रूप से अर्दली रूम अवश्य करें और ऐसे प्रकरणो पर शीघ्रता से निष्पक्ष व न्यायपूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(4) **सम्मेलनः-**

प्रभारी पुलिस अधीक्षकों/सेनानायकों द्वारा माह में एक बार एवं परिक्षेत्र/सेक्टर स्तर पर तीन माह में एक बार पुलिस कर्मचारियों का सम्मेलन अवश्य किया जाय। इसकी व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि जनपद/इकाई में कार्यरत जिस कर्मी की कोई समस्या हो उसे सम्मेलन में शामिल होने का अवसर भी मिल जाय। सम्मेलन के दौरान कर्मचारियों को अपनी समस्यायें निसंकोच रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाय। सम्मेलन में प्राप्त होने वाली समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। इस प्रकार की कार्यवाही हेतु एक स्थायी रजिस्टर बनाया जाय, जिसमें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। सम्मेलन के दौरान कर्मचारियों को विभागीय नीतियों से भी अवगत कराया जाय।

मैं अपेक्षा करूंगा कि पत्र में अंकित किये गये सभी बिन्दुओं पर एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। परिक्षेत्र/सेक्टर के उप महानिरीक्षक व जोन के अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निरीक्षण के दौरान इस दिशा में की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर लें। सभी पुलिस आयुक्तों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कमिश्नरेट में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

29/12/2020

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

समस्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट उ0प्र0।

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक,
जोन/पीएसी/रेलवे उ0प्र0।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक,
परिक्षेत्र/पीएसी सेक्टर/रेलवे, उ0प्र0।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,
जनपद/रेलवे/पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।